न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

अपील संख्या : 10/2021 तारीख रजू : 9-9-21

बउनवान

श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री तुरसी पत्नी रामजीत जाति चमार निवासी गांव पोस्ट सोमका तहसील पहाड़ी हाल आबाद गोवर्धन दरवाजा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर प्रान्त राज० —— अपीलार्थी

बनाम

1. अनीस पुत्र सुमेर खाँ | जाति मेव निवासीयान गांव पोस्ट सोमका
2. हारून पुत्र जैनू | तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर (राज०)

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाड़ी —— रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 24-03-2021 बसिलसिले प्रा० पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जा० दी० दिनांक 17-07-2020 बसिलसिले निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी व इनवानी मुकदमा मुन्नी बनाम अनीस मु० नं० 105/2019 एस.डी.ओ. पहाड़ी अपील अंतर्गत धारा 96 सपठित आदेश 43 नियम 1 जाप्ता दीवानी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

उपस्थित :-
1. श्री कश्मीर अरोड़ा वकील अपीलान्ट
2. श्री मुकेश कुमार वकील रेस्पोडेन्टस

निर्णय दिनांक: 30-06-2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 96 सपठित आदेश 43 नियम 1 जा० दी० इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट वादिया ने रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एक वाद अधीनस्थ न्यायालय

A 15

AW

में बावत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था क्योंकि रेस्पो॰ न॰ 3 से साज करर प्रार्थिया अपीलान्ट के पिता तुरसी की मृत्यु के बाद सालिम हिस्सा पर दीपचन्द ने प्रार्थिया/अपीलान्ट को उसके हिस्से से वंचित करने हेतु रकबा आगे बेचान कर दिया था जबकि प्रार्थिया आराजी मुतनाजा के 1/2 हिस्सा पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही थी। राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्टस के नाम से रहे गलत इन्द्राजात के कारण वादनी ने प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टस के विरुद्ध धारा 88, 89 व 188 आर॰ टी॰ एक्ट के तहत अपने हिस्से का दावा अधीनस्थ न्यायालय में दायर किया था।

2. प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वाद वादनी/अपीलान्ट के दायरी के बाद दिनांक 06-05-2014 नियत की गई थी। प्रतिवादीगण द्वारा सम्मन नोटिस लेने से मनाही करने के बाद उक्त सम्मन नोटिस 2 गवाहन की उपस्थिति में चस्पांगी से तामील कराई थी। उचित व सही तामील होने से बाद पूर्ण जांच प्रतिवादीगण (रेस्पो॰) के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई थी। इसके 5 वर्ष पश्चात दिनांक 13-12-2019 को वाद-वादिया अंतिम रूप से डिक्री किया गया था और अपीलान्ट ने उक्त निर्णय व डिक्री की इजराय करायी तथा राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अमल दरामद कराया जो आज भी राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के नाम इन्द्राजात है।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण ने एकपक्षीय कार्यवाही 06-05-2014 के भी लगभग 6-6½ वर्ष पश्चात दिनांक 17-7-2020 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 CPC के प्रावधानों के तहत एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने हेतु पेश किया जिसपर बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में पारित डिक्री व निर्णय को अपास्त कर दिया जिस निर्णय दिनांक 24-03-2021 के खिलाफ कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने एवं विधि के प्रावधानों

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

का दुरुपयोग किये जाने के कारण शून्य प्रभावी एवं काबिले निरस्तीय बताते हुए यह अपील [illegible] मय धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24-03-2021 को निरस्त करने की इस्तदुआ की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो० 1 उनकी ओर से पूर्व में ही कैवियट श्री पंकजकुमार एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत की हुई थी लेकिन बावजूद पर्याप्त सूचना कोई भी रेस्पोडेन्टस उपस्थित नही आये।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील के तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हमारा दावा डिक्री किया गया था। वादिया अपीलान्ट तुरसी की पुत्री है और दीपचंद उसका भाई था जो फौत हो गया है। पिता तुरसी की मृत्यु के बाद दीपचंद ने उसके पिता की संपूर्ण आराजी अपने नाम करवा ली। वादिया की माँ की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद दीपचंद ने समस्त आराजी प्रतिवादीगण 1 व 2 को बेचान कर दी और दीपचंद को गुजरे हुए भी 40 वर्ष हो गये है। अपीलान्ट वादिया का दावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13-12-2019 को डिक्री किया था और डिक्री होने के बाद प्रतिवादी रेस्पोडेन्टस ने डिक्री को अपास्त कराने हेतु आदेश 9 नियम 13 CPC का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे प्रोपर तामील न होने का हवाला दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई O 9 R 13 CPC का प्रार्थना स्वीकार किया तथा हमारी डिक्री को अपास्त किया। अधीनस्थ न्यायालय ने समय सीमा नही देखी जैसाकि उनकी एकपक्षीय कार्यवाही 6-5-2014 को हुई थी और दावा दिनांक 13-12-2019 को निर्णित हुआ था एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र 09 R13 CPC दिनांक 17-07-2020 को पेश किया गया था जो मयाद बाहर था जिसमें पर्याप्त कारण भी नही बताया था और शपथपत्र भी नही लगाया गया था। हमारा जो दावा डिक्री हुआ था उसकी इजराय भी हो गई थी और 1/2 हिस्सा वादिया के नाम चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय को तामील पर साक्ष्य से प्रमाणित करवाना चाहिये था जो उन्होने नहीं करवाया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित किया है कि मयाद के ऐसे मामलों में उचित एवं पर्याप्त कारण होना चाहिये। इसलिये 09 R13 CPC का प्रार्थना पत्र गलत ही स्वीकार किया गया जबकि मयाद के प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र भी पेश नही किया गया था। मयाद पर कोई भी तर्क नही दिया जा सकता है। हमारी इस अपील को पेश करने में विलंब कोविड काल के कारण हुआ। इस बाबत माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी दिनांक 15-3-2020 से 2-10-2021 तक की अवधि में मयाद में छूट दी है। इसके अलावा दावा में प्रतिवादीगण को तामील भी सरकारी नुमाइंदा द्वारा करवायी गई थी और ये दस्ती भी नहीं थी। ऐसे में बिना साक्ष्य के तामील को गलत नही ठहराया जा सकता है। अतः हमारी अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 09 R13 CPC प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर डिक्री को अपास्त करने का निर्णय दिनांक 24-03-2021 को निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्टस ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों का पुरजोर विरोध करते हुए दलील दी कि हमने प्रा. पत्र 09 R13 CPC के साथ मयाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया था। दावे के सम्मनों पर तामील करवाने की तिथि नही है तथा न ही तामील प्राप्त करने वालों की वल्दियत अंकित है। दिनांक 6-5-2014 की तामील पर गवाहों की वल्दियत एवं दिनांक भी अंकित नही है। साथ ही दिनांक 27-12-2018 को वादिया - अपीलार्थी का दावा अदम हाजरी में खारिज हुआ

राजस्व ... न्यायालय ... (राज.)
...अधिकारी
भरतपुर (राज.)

था जो पुनः नंबर पर लिये जाने पर हमारी तलबी नहीं करवायी गई और पूर्व में 6-5-2014 की एकतरफा कार्यवाही को ही बहाल रखा गया। इस प्रकार प्रतिवादीगण की तामील प्रोपर नहीं हुई थी। इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा मौजूदा अपील 30-03-2021 को जानकारी होने पर भी पांच माह के विलंब से दिनांक 13-8-2021 को पेश की है जो मयाद बाहर है। इस विलंब के संबंध में इनको एक-एक दिन का स्पष्टीकरण देना होगा। हमारी दरख्वास्त O9 R13 CPC सही स्वीकार की गई थी ताकि हमें सुनवाई का अवसर प्राप्त हो सके। अतः अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने से खारिज फरमायी जावे।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत मयाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निर्णीत किया जाना उचित होगा। इस संबंध में पत्रावली पर मौजूद रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र O9 R13 CPC के अपीलाधीन आदेश की दिनांक 24-3-2021 है जिसकी नकल दिनांक 30-3-2021 को एवं मूल वाद के निर्णय की नकल दिनांक 07-04-2021 को तैयार दिनांक 15-4-2021 को अपीलार्थी को प्राप्त हुई। इसी दरम्यान राज्य में कॉविड के कारण लोकडाउन लग जाने से अपील प्रस्तुत नहीं ~~[illegible]~~ हो पायी और विलंब हुआ। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने Full Bench के निर्णय 23-09-2021 में मयाद की गणना में 15-3-2020 से 2-10-21 तक की अवधि की छूट प्रदान की है। अतः इस संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रा. पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को मयाद में छूट प्रदान की जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय की प्रार्थना पत्र O9 R13 CPC के स्वीकार किये जाने के संबंध में स्पष्ट है कि मूल दावे के प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

की तामील प्रोपर होना पायी जाती है जैसाकि उनके सम्मनों पर गवाहों के हस्ताक्षर हैं और उनकी मौजूदगी में चस्पांगी हुई है जिससे उनके विरुद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही सही है। इसके अलावा इस संबंध में जारी डिक्री को अपास्त कराने का प्रार्थना पत्र 09 R13 CPC भी 6-6½ वर्ष बाद पेश हुआ जो मयाद बाहर पेश है। इस संबंध में प्रतिवादीगण ने इतने लंबे विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं पर्याप्त कारण नही बताया। जहां तक भूमि के हक का प्रश्न था तो अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13-12-2019 में वादिया-अपीलार्थी को उसके पिता की विरासत में 1/2 हिस्सा बिल्कुल सही दिया है जो कि उसके भाई ने सपूर्ण आराजी गलत ढंग से अपने नाम कर प्रतिवादीगण को विक्रय की। अपीलार्थी को उसके पिता की विरासत से वंचित नही किया जा सकता है और उसके हिस्से तक किया गया बेचान सही नही है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रा. पत्र 09 R13 CPC को स्वीकार करना गलत था। हम विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दलीलों से पूर्णतया सहमत हैं और उनकी अपील स्वीकार किया ~~जावेगा~~ जाना उचित है।

9. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24-3-2021 अपास्त किया जाता है। अपील फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास आज दिनांक 30-06-2023 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)